

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 21-10-2024

विषय सूची

पाँच भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा
अनुच्छेद 21 के तहत राहत PMLA प्रावधानों से श्रेष्ठ है
भारत की खेल संस्कृति और चुनौतियाँ
क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) – UDAN के 8 वर्ष
भारतीय रेलवे के लिए चुनौतियाँ

संक्षिप्त समाचार

काला-अजार रोग को खत्म करने के लिए भारत की प्रगति
दूसरा भारतीय लाइटहाउस महोत्सव
ई-श्रम-वन (eShram-One) स्टॉप सॉल्यूशन
कार्बन कैप्चर बढ़ाने के लिए खनन धूल का उपयोग
प्लैकटन ब्लूम
पाइरोमिस
यूरोपीय स्काई शील्ड पहल (ESSI)
सैन्य अभ्यास में क्वाड देशों की भागीदारी
आग से कार्बन उत्सर्जन
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC)

पाँच भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा

समाचार में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पांच भाषाओं - मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत - को शास्त्रीय दर्जा देने को मंजूरी दी।

शास्त्रीय दर्जा के बारे में

- किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य उसके ऐतिहासिक महत्व और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में उसकी भूमिका का सम्मान करना है।
- ये भाषाएँ हजारों वर्षों से प्राचीन ज्ञान, दर्शन और मूल्यों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण रही हैं।
 - **पिछली घोषणाएँ:** घोषित की गई अन्य शास्त्रीय भाषाओं में तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया शामिल हैं।

शास्त्रीय भाषाओं के लिए मानदंड:

- 2004 में शुरू में स्थापित, शास्त्रीय भाषाओं के लिए मानदंड:
- एक हजार वर्ष से ज़्यादा का इतिहास।
- प्राचीन साहित्य का एक संग्रह जिसे मूल्यवान माना जाता है।
- एक मूल साहित्यिक परंपरा।
- **परिवर्तन:** 2005 में, मानदंड को संशोधित करके 1,500 से 2,000 वर्ष के इतिहास की आवश्यकता बताई गई और आधुनिक रूपों के साथ संभावित असंततता को स्वीकार किया गया।
 - **संशोधित मानदंड:** भाषाई विशेषज्ञ समिति ने जुलाई 2024 में मानदंड को संशोधित किया, जिससे व्यापक परिभाषा की अनुमति मिली, जिसमें शामिल हैं:
 - कविता से परे ज्ञान ग्रंथ।
 - ऐतिहासिक शिलालेखीय साक्ष्य।
 - आधुनिक भाषाओं के शास्त्रीय रूपों से संबंधों की स्वीकृति।

महत्व:

- शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की मान्यता से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर सृजित होंगे, विशेषकर शिक्षा और शोध के क्षेत्र में।
- यह प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के माध्यम से अभिलेखीकरण, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया में भी रोजगार सृजन करेगा।
- यह पहल विद्वानों के शोध और प्राचीन ज्ञान प्रणालियों के पुनरोद्धार को प्रोत्साहित करती है, जिससे भारत की बौद्धिक तथा सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त, यह भाषा बोलने वालों के बीच गर्व और स्वामित्व को बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है और एक आत्मनिर्भर, सांस्कृतिक रूप से निहित भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
- केंद्र सरकार शास्त्रीय भाषाओं में शोध, अनुवाद और संरक्षण प्रयासों के लिए धन मुहैया कराती है।

संबंधित कदम

- शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कई पहल की हैं:
 - **केंद्रीय विश्वविद्यालय:** संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए 2020 में तीन की स्थापना की गई।
 - **केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान:** प्राचीन तमिल ग्रंथों के अनुवाद की सुविधा, शोध को प्रोत्साहन देने और छात्रों और विद्वानों के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए बनाया गया।
 - **उत्कृष्टता केंद्र:** मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के तहत कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया अध्ययन के लिए स्थापित।
 - **पुरस्कार:** शास्त्रीय भाषाओं में उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए गए हैं।
 - **अतिरिक्त लाभ:** इसमें शास्त्रीय भाषाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्वविद्यालय की कुर्सियाँ और प्रचार के लिए समर्पित केंद्र शामिल हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

- मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय भारत की सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विरासत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।
- यह मान्यता न केवल उनके ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व का जश्न मनाती है, बल्कि भाषाई विविधता के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।
- भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन भाषाओं की सुरक्षा करके, सरकार सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि को मजबूत करती है, जो आत्मनिर्भर भारत तथा सांस्कृतिक रूप से निहित भारत के लक्ष्यों के साथ संरेखित होती है।

Source :TH

अनुच्छेद 21 के तहत राहत, PMLA प्रावधानों से श्रेष्ठ है

सन्दर्भ

- दिल्ली के एक न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार आप नेता सत्येंद्र जैन को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जमानत दे दी।

परिचय

- दिल्ली के न्यायालय के आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि संवैधानिक शर्तों का धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत वैधानिक शर्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जबकि स्वतंत्रता ही इसका मूल आधार थी।
- संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मुकदमे में देरी और लंबी अवधि तक कारावास से संबंधित राहत, PMLA की धारा 45 के तहत दी गई दोहरी शर्तों से श्रेष्ठ है।
 - अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति पर ध्यान दिये बिना लागू होता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002

- इसे 2002 में संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत भारत की संसद द्वारा धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए अधिनियमित किया गया था। PMLA एवं इसके तहत अधिसूचित नियम 2005 से प्रभावी हुए और इसे 2009 तथा 2012 में संशोधित किया गया।
- **प्रावधान:** PMLA की धारा 3 धन शोधन के अपराध को, अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में परिभाषित करती है और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करती है।
- **दायित्व निर्धारण:** PMLA बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों के लिए अपने सभी ग्राहकों की पहचान के रिकॉर्ड के सत्यापन और रखरखाव के लिए दायित्व निर्धारित करता है।
 - **अधिकारियों का सशक्तिकरण:** PMLA प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन के अपराध से जुड़े मामलों में जांच करने और धन शोधन में शामिल संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार देता है।
 - **विशेष न्यायालय:** इसमें PMLA के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए एक या एक से अधिक सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करने की परिकल्पना की गई है।
 - **केंद्र सरकार के लिए समझौता:** यह केंद्र सरकार को PMLA के प्रावधानों को लागू करने के लिए भारत के बाहर किसी भी देश की सरकार के साथ समझौता करने की अनुमति देता है।

PMLA के तहत जमानत प्रावधान

- PMLA की धारा 45 के तहत जमानत की दो शर्तें आरोपी के लिए कठोर हैं।
- पहली शर्त, व्यक्ति को न्यायालय में यह साबित करना होगा कि वह अपराध के लिए प्रथम दृष्टया निर्दोष है।
- दूसरी शर्त, आरोपी को न्यायाधीश को यह विश्वास दिलाने में सक्षम होना चाहिए कि जमानत पर रहते हुए वह कोई अपराध नहीं करेगा।
 - साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार पूरी तरह से जेल में बंद अभियुक्त पर है।

कानून पर उच्चतम न्यायालय की राय

- उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा कि संवैधानिक अदालतें PMLA के प्रावधानों को प्रवर्तन निदेशालय के हाथों में लंबे समय तक कैद जारी रखने का साधन बनने की अनुमति नहीं दे सकतीं।
- गवाहों या साक्ष्यों के साथ संभावित छेड़छाड़ के बारे में ED द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए, न्यायालय ने जमानत पर सख्त शर्तें लगाईं, जिनमें शामिल हैं:
 - ED के उप निदेशक के समक्ष नियमित रूप से पेश होना;
 - अनुसूचित अपराधों के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना;

- अनुसूचित अपराधों से संबंधित किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह या पीड़ितों से संपर्क करने पर रोक;
- मुकदमे में पूर्ण सहयोग और स्थगन मांगने से बचना।



निष्कर्ष

- न्यायालय का निर्णय लंबे समय तक कारावास और विलंबित मुकदमों को रोकने, संवैधानिक अधिकारों के साथ वैधानिक स्थितियों को संतुलित करने के महत्व को रेखांकित करता है।
- अंततः, कानून प्रवर्तन शक्तियों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन इस कानूनी ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है, जो मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए न्याय सुनिश्चित करता है।

Source: TH

भारत की खेल संस्कृति और चुनौतियाँ

सन्दर्भ

- केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री ने कहा कि भारत खेल के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष दस प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक बनने के लिए तैयार है।

भारत का खेल परिदृश्य

- कुश्ती, कबड्डी, तीरंदाजी और मार्शल आर्ट के विभिन्न रूप जैसे पारंपरिक खेल केवल शारीरिक गतिविधियाँ ही नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक अनुष्ठान भी थे।
- औपनिवेशिक काल के दौरान, अंग्रेजों ने भारत में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस जैसे आधुनिक खेलों की शुरुआत की।
 - परिणामस्वरूप, इन खेलों के लिए बुनियादी ढाँचा विकसित होना शुरू हुआ।
- स्वतंत्रता के बाद, भारत ने खेल बुनियादी ढाँचे में अस्थिर वृद्धि देखी।
 - हालाँकि, विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही और बुनियादी ढाँचा मुख्य रूप से कुछ महानगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित था।

- 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में भारत ने प्रतिभाओं को पोषित करने में खेल बुनियादी ढाँचे के महत्व को पहचानना शुरू किया।
- भारत ने 1982 में एशियाई खेलों और 1987 में क्रिकेट विश्व कप जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी की, जिसके लिए विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढाँचे के निर्माण की आवश्यकता थी।
- समय के साथ, प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, खेल बुनियादी ढाँचे के प्रति दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रदर्शन

- पेरिस ओलंपिक में भारत ने छह पदक जीते - एक रजत और पांच कांस्य - और पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा।
 - यह जॉर्जिया, कजाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे बहुत कम जनसँख्या वाले देशों से नीचे रैंक दर्ज किया गया।
 - भारत की जनसँख्या के एक चौथाई से भी कम की जनसँख्या वाला संयुक्त राज्य अमेरिका 126 पदकों के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है, उसके बाद चीन 91 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है।
- भारत ने 1900 में अपने पदार्पण के बाद से अब तक कुल 41 ओलंपिक पदक जीते हैं, जो सभी ग्रीष्मकालीन खेलों में जीते हैं।
- देश के प्रदर्शन ने खेल संस्कृति की आवश्यकता के बारे में कई प्रश्न खड़े किए।

भारतीय एथलीटों की सफलता में कमी के कारण

- **बुनियादी ढाँचे और प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी:** हालांकि सुधार किए गए हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी गुणवत्तापूर्ण खेल बुनियादी ढाँचे और प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी है, लेकिन आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण और कोचिंग तक पहुँच बेहतर एथलीटों को विकसित करने के लिए आवश्यक है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण:** कई एथलीट पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे उनके प्रशिक्षण के अवसर और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी सीमित हो जाती है।
- **लोकप्रिय खेलों पर ध्यान:** क्रिकेट पर अत्यधिक ध्यान प्रायः अन्य खेलों पर प्रभुत्वशाली हो जाता है, जिससे एथलेटिक्स, तैराकी और अन्य जैसे विषयों के लिए संसाधनों और ध्यान की कमी हो जाती है।
- **बुनियादी स्तर पर विकास की कमी:** एक मजबूत बुनियादी स्तर की खेल संस्कृति की आवश्यकता है जो कम उम्र से ही प्रतिभा की पहचान करे और उसका पोषण करे।
- **प्रतियोगिता का स्तर:** भारतीय एथलीटों को प्रायः अधिक स्थापित खेल संस्कृति और बेहतर वित्तपोषण वाले देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिससे पॉडियम फिनिश प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

सरकार द्वारा की गई पहल

- **खेलो इंडिया:** बुनियादी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना। इसमें प्रतिभाओं की पहचान, कोचिंग, खेल अवसंरचना विकास और स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन शामिल है।

- **राष्ट्रीय खेल नीति:** खेल प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना, भागीदारी को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीटों की संख्या में वृद्धि करना।
- **भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI):** युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख संस्था।
- **राष्ट्रीय खेल पुरस्कार:** खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष (PDUNWFS):** इसे 1982 में अतीत के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।
- **राष्ट्रीय खेल विकास कोष:** यह कोष खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों के अधीन प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करके उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता करता है।
 - यह खेलों को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना के विकास और अन्य गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
- **लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS):** ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की क्षमता वाले एथलीटों की पहचान करना और उनका समर्थन करना।
 - यह प्रशिक्षण, कोचिंग और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **मिशन ओलंपिक सेल (MOC):** युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक निकाय जो टॉप्स के तहत ओलंपिक के लिए एथलीटों के प्रशिक्षण और तैयारी की निगरानी करता है तथा सहायता प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSFs):** सरकार NSFs को मान्यता देती है और उन्हें वित्तपोषित करती है, जो अपने-अपने खेलों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

संभावित उपाय

- **वित्तपोषण:** खेल सुविधाओं में निवेश बढ़ाएँ, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।
- **प्रतिभा की पहचान:** कम उम्र से ही प्रतिभा की पहचान करने और उसे निखारने के लिए स्कूलों में खेल कार्यक्रम लागू करें।
- **अन्य खेलों को प्रोत्साहन:** क्रिकेट के अतिरिक्त एथलेटिक्स, तैराकी और स्वदेशी खेलों जैसे खेलों की एक विस्तृत विविधता को बढ़ावा दें।
- **लीग और प्रतियोगिताएँ:** भागीदारी और दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए कम प्रसिद्ध खेलों में पेशेवर लीग और प्रतियोगिताएँ स्थापित करें।
- **कॉर्पोरेट प्रायोजन:** वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों और खेल संगठनों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करें।
- **रोल मॉडल:** युवाओं को खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए सफल एथलीटों को उजागर करें।

निष्कर्ष

- अपने प्रदर्शन के बारे में आलोचनात्मक होना अच्छा है क्योंकि इससे एथलीटों में खेल का लगाव बढ़ता है और प्रशासकों को भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है।
- हाल के वर्षों में, खेल के बुनियादी ढांचे के प्रति भारत के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है।
- सरकार, निजी संस्थाओं और विभिन्न खेल निकायों द्वारा किए गए ठोस प्रयास देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- यह विकास भारत की खेलों में एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने की आकांक्षा को दर्शाता है और देश के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है।

Source: PIB

क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) – उड़ान(UDAN) के 8 वर्ष

सन्दर्भ

- उड़ान योजना के कार्यान्वयन के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं।

परिचय

- क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) – UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) भारत की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (NCAP) 2016 का एक घटक है, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने 2016 में 10 वर्ष के विजन के साथ लॉन्च किया था।
- इसका उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार करना है, विशेषकर दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में।
- पहली उड़ान 2017 में शिमला को नई दिल्ली से जोड़ते हुए शुरू हुई थी।

UDAN योजना की विशेषताएं

- **बाजार-संचालित दृष्टिकोण:** एयरलाइनें विशिष्ट मार्गों पर मांग का आकलन करती हैं और बोली दौर के दौरान प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं।
 - यह योजना एयरलाइनों को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) और विभिन्न रियायतों के माध्यम से सहायता प्रदान करके वंचित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **सहायता तंत्र:**
 - **हवाई अड्डा संचालक:** वे RCS उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क माफ करते हैं, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) इन उड़ानों पर टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क (TNLC) नहीं लगाता है।
 - **केंद्र सरकार:** पहले तीन वर्षों के लिए, RCS हवाई अड्डों पर खरीदे गए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर उत्पाद शुल्क 2% पर सीमित है।

- **राज्य सरकारें:** राज्यों ने दस वर्षों के लिए ATF पर वेट को 1% या उससे कम करने और सुरक्षा, अग्निशमन सेवाओं एवं उपयोगिता सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाएँ कम दरों पर प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

योजना का महत्व

- **विमानन उद्योग के विकास को बढ़ावा देना:** पिछले सात वर्षों में, इसने कई नई और सफल एयरलाइनों के उद्भव को उत्प्रेरित किया है।
 - इसने सभी आकारों के नए विमानों की बढ़ती मांग को भी जन्म दिया है, जिससे RCS मार्गों पर तैनात विमानों की श्रेणी का विस्तार हुआ है।
- **पर्यटन को बढ़ावा देना:** UDAN 3.0 जैसी पहलों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई गंतव्यों को जोड़ने वाले पर्यटन मार्गों की शुरुआत की है, जबकि UDAN 5.1 का ध्यान पर्यटन, आतिथ्य और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार पर है।
- **हवाई संपर्क को बढ़ावा देना:** RCS-UDAN ने देश भर के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में दस और दो हेलीपोर्ट सहित कुल 86 हवाई अड्डे चालू किए गए हैं।
- **हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि:** देश में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है और लक्ष्य 2047 तक इस संख्या को 350-400 तक बढ़ाना है।

निष्कर्ष

- UDAN केवल एक योजना नहीं है; यह एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य हर भारतीय को UDAN के उपहार के साथ सशक्त बनाना है।
- क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और वहनीयता सुनिश्चित करने से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए अनगिनत नागरिकों की आकांक्षाएं पूरी हुई हैं।
- UDAN योजना भारतीय विमानन के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी योजना बनी हुई है, जो भारत के एक जुड़े हुए और समृद्ध राष्ट्र के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

Source: PIB

भारतीय रेलवे के लिए चुनौतियाँ

सन्दर्भ

- भारत में हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं की श्रृंखला ने भारतीय रेलवे में सुधारों की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है।

परिचय

- 1960 के दशक में रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या 1,390 प्रति वर्ष से घटकर पिछले दशक में 80 प्रति वर्ष हो गई।
- हालाँकि 2022-23 में अभी भी 48 परिणामी दुर्घटनाएँ होंगी, और 2023-2024 में 40 होंगी।

- परिणामी दुर्घटना में लोग घायल होते हैं और/या मारे जाते हैं, रेलवे के बुनियादी ढांचे को हानि पहुँचती है और रेल यातायात बाधित होता है।

भारतीय रेलवे के लिए चुनौतियाँ

- **उच्च परिचालन अनुपात (OR):** 2024-2025 के लिए OR ₹98.2 अनुमानित है, जिसका अर्थ है कि रेलवे प्रत्येक ₹100 अर्जित करने पर ₹98.2 खर्च करता है, जिससे पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए बहुत कम बचता है।
- **दुर्घटनाएँ और सुरक्षा मुद्दे:** 1960 के दशक में दुर्घटनाओं की संख्या 1,390 प्रति वर्ष से घटकर हाल ही में 80 प्रति वर्ष हो जाने के बावजूद, 2023-2024 में लगभग 40 परिणामी दुर्घटनाएँ हुईं।
 - मानवीय त्रुटि एक प्रमुख कारण है, जिसमें 55.8% दुर्घटनाएँ रेलवे कर्मचारियों की विफलताओं के कारण, 28.4% गैर-कर्मचारियों की त्रुटियों के कारण और 6.2% उपकरण विफलताओं के कारण होती हैं।
- **समर्पित माल गलियारों (DFCs) में विलंब:** केवल पूर्वी DFCs पूर्ण रूप से परिचालित हैं; पश्चिमी DFCs आंशिक रूप से तैयार हैं। पूर्वी तट, पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण गलियारे अभी भी नियोजन चरण में हैं, जिससे माल ढुलाई क्षमता विस्तार सीमित हो रहा है।
- **यात्री सेवाओं में वित्तीय घाटा:** 2019-2020 में, यात्री सेवाओं ने ₹50,000 करोड़ कमाए, लेकिन ₹63,364 करोड़ का घाटा हुआ।
 - किफ़ायती यात्रा और लाभप्रदता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती बनी हुई है, विशेषकर वेतन, पेंशन और ईंधन की बढ़ती लागत के साथ।
- **तनावपूर्ण कार्य परिस्थितियाँ:** लोकोमोटिव पायलटों को 12 घंटे की शिफ्ट का सामना करना पड़ता है, विशेषकर उच्च-माल ढुलाई वाले क्षेत्रों में, जिससे तनावपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।
 - बढ़ी हुई भीड़भाड़ और परिचालन दबाव शारीरिक क्षमता को बनाए रखने में कठिनाइयों को बढ़ाते हैं।
- **माल ढुलाई सेवाओं पर निर्भरता:** नीति आयोग के अनुसार, माल ढुलाई सेवा की दरें, जो कुल राजस्व का 65% हिस्सा हैं, 2009 और 2019 के बीच यात्री दरों की तुलना में तीन गुना से अधिक तेजी से बढ़ी हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **रेलवे और केंद्रीय बजट का एकीकरण:** 2016-2017 में, सरकार ने रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया, जिससे सकल बजटीय सहायता तक सुलभ पहुँच उपलब्ध हो गई।
- **बेहतर सुरक्षा उपाय:** आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम, बेहतर ट्रैक रखरखाव और उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल में निवेश।
- **नई ट्रेनों की शुरूआत:** यात्री राजस्व बढ़ाने और उच्च यातायात वाले मार्गों पर सेवा में सुधार के लिए हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की शुरूआत।
- **ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम** एक वाहन को दूसरे वाहन या बाधाओं से दूर रखने में सहायता करता है।

सुरक्षा चेतावनी प्रणाली क्या है?

- यह एक वाहन को दूसरे वाहन या बाधाओं से दूर रखने में सहायता करने वाली तकनीकों का एक संग्रह है।
 - उदाहरण के लिए, ट्रेन पर फिट किया गया CAS डिवाइस उस ट्रेन को दूसरी ट्रेन से टकराने से बचाने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।
- अधिकांश CAS डिवाइस को दो प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है, अधिमानतः वास्तविक समय में: अन्य सभी वाहनों के स्थान और उन वाहनों के सापेक्ष इस वाहन का स्थान।

कवच (Kavach) क्या है?

- कवच स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) प्रणाली है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव, सिग्नलिंग सिस्टम और पटरियों में स्थापित किया जाता है, जो ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे से बात करते हैं और ड्राइवरों को भी सचेत करते हैं, यह सब उनमें प्रोग्राम किए गए तर्क पर आधारित है।
- यदि चालक गति प्रतिबंधों के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय करता है।

आगे की राह

- **बुनियादी ढांचे में निवेश:** ट्रैक नवीनीकरण और रखरखाव के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि करें, क्योंकि 7.2% का वर्तमान परिव्यय अपर्याप्त है।
- **परिचालन अनुपात में कमी:** यात्री और माल ढुलाई सेवाओं दोनों के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण मॉडल के माध्यम से आंतरिक राजस्व सृजन में वृद्धि करें।
- **कामकाजी परिस्थितियों में सुधार:** मानवीय त्रुटि को कम करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कर्मचारियों के लिए बेहतर शेड्यूलिंग एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।
- परिचालन लागत को कम करने के लिए विद्युतीकरण को बढ़ाकर और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज करके ईंधन की लागत कम करें।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

काला-अजार रोग के उन्मूलन में भारत की प्रगति

समाचार में

- भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में काला-अजार को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है; इसने लगातार दो वर्षों तक प्रति 10,000 लोगों पर एक से कम मामलों की संख्या को बनाए रखा है, जो उन्मूलन प्रमाणन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों के अनुरूप है।

काला-अजार

- विसराल लीशमैनियासिस, जिसे सामान्यतः काला-अजार के नाम से जाना जाता है, भारत में प्रोटोजोआ परजीवी लीशमैनिया डोनोवानी के कारण होने वाली एक धीमी गति से बढ़ने वाली बीमारी है।
- लीशमैनिया परजीवी संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाई के काटने से फैलते हैं, जो अंडे उत्पन्न करने के लिए खून पीती हैं।
 - ये परजीवी मनुष्यों सहित लगभग 70 जानवरों की प्रजातियों से प्राप्त किए जा सकते हैं।
- "काला-अजार" शब्द, जिसका अर्थ है "काला रोग", संक्रमण से जुड़ी त्वचा के रंग में बदलाव को संदर्भित करता है।
- परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम को लक्षित करता है, विशेष रूप से अस्थि मज्जा, प्लीहा और यकृत को प्रभावित करता है।
- पिछले कुछ वर्षों में इस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य बदल गया है, पहले इसे 2010, 2015, 2017 और 2020 के लिए निर्धारित किया गया था।
 - अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा है।
- ऐतिहासिक रूप से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे राज्यों में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, विशेष रूप से बिहार में, जहाँ इसके 70% से अधिक मामले हैं।

Source : TH

द्वितीय भारतीय लाइटहाउस महोत्सव

सन्दर्भ

- केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने द्वितीय भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के दौरान प्रमुख समुद्री परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं।

परिचय

- गुजरात में नए कलवान रीफ लाइटहाउस के साथ-साथ ओडिशा में दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।
- इस महोत्सव का आयोजन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) द्वारा किया जाता है।

- इसका उद्देश्य लाइटहाउस पर्यटन की विशाल संभावनाओं और इन समुद्री संरचनाओं को संरक्षित करने की रणनीतियों का पता लगाना है, जिसमें पर्यटन विकास को विरासत संरक्षण के साथ जोड़ा गया है।
- लाइटहाउस पर्यटन कई लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है और साथ ही हमारी आगामी पीढ़ियों को देश के समुद्री इतिहास के बारे में जानकारी दे रहा है।
 - 60 करोड़ रुपये के निवेश से 9 तटीय राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 75 प्रतिष्ठित लाइटहाउस विकसित किए गए हैं।

Source: PIB

ई-श्रम-वन(eShram-One) स्टॉप सॉल्यूशन

सन्दर्भ

- केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री ने 'ई-श्रम-वन स्टॉप सॉल्यूशन' लॉन्च किया।

परिचय

- यह असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।
 - यह असंगठित श्रमिकों को उनके लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में जागरूक होने में सहायता करेगा।
- यह असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजनाओं की पहचान एवं कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करेगा और योजनाओं को तेज़ तथा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेगा।
- परिणामस्वरूप, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 12 योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है।

Source: PIB

कार्बन कैप्चर बढ़ाने के लिए खनन धूल का उपयोग

समाचार में

- दार्जिलिंग स्थित कंपनी ऑल्ट कार्बन, उन्नत रॉक अपक्षय नामक प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन अवशोषण को बढ़ाने के लिए खनन से प्राप्त कुचले हुए बेसाल्टिक चट्टानों का उपयोग कर रही है।

प्रक्रिया के बारे में

- यह एक भू-रासायनिक विधि है, जिसमें चट्टानें समय के साथ स्वाभाविक रूप से विखंडित होती हैं, जिससे वायुमंडलीय कार्बन खनिजों के साथ प्रतिक्रिया करके बाइकार्बोनेट बनाता है।
- इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर संदलित बेसाल्टिक चट्टान का उपयोग किया जाता है, जिसे महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे खनन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है, जिससे अपक्षय के लिए सतह का क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है।

आवश्यकता और महत्व

- महासागर मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न CO₂ का लगभग 30% हिस्सा ग्रहण कर लेते हैं। हालाँकि, प्राकृतिक अपक्षय प्रक्रियाएँ धीमी होती हैं, जिसमें हजारों वर्ष लगते हैं।
 - बढ़ते CO₂ स्तरों के कारण, सरकारें और व्यवसाय कार्बन हटाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिससे "बढ़ी हुई" चट्टान अपक्षय की अवधारणा सामने आई है।
- बढ़ी हुई चट्टान अपक्षय प्राकृतिक प्रक्रिया को तेज़ करती है, बेसाल्टिक चट्टान को संदलित कर, उसके सतही क्षेत्र को बढ़ाकर और बाइकार्बोनेट निर्माण को तेज़ करके।
 - दार्जिलिंग में चाय बागानों में कुचली हुई बेसाल्ट धूल डाली जाती है, जिससे मिट्टी समृद्ध होती है और कार्बन अवशोषण बढ़ता है।
 - प्रत्येक टन कार्बन संचयित कार्बन एक कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करता है, जिसे उत्सर्जन की भरपाई के लिए कंपनियों को बेचा जा सकता है।

चुनौतियाँ

- विभिन्न परियोजनाओं में कार्बन पृथक्करण माप की सटीकता के बारे में चिंताएं हैं, तथा अध्ययनों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं बताई गई हैं।

क्या आप जानते हैं ?

- कार्बन पृथक्करण औद्योगिक सुविधाओं और बिजली संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन को पकड़ने या इसे सीधे वायुमंडल से हटाने की प्रक्रिया है, इसके बाद इसे सुरक्षित रूप से परिवहन एवं भूवैज्ञानिक संरचनाओं में स्थायी रूप से संग्रहीत किया जाता है।
- यह अभ्यास तेज़ी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि CO₂ उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रहा है, जिससे जंगल की आग, बाढ़ और तूफान आ रहे हैं, साथ ही बढ़ती समुद्री अम्लता के कारण समुद्री जीवन को भी खतरा है।

Source: TH

प्लैंकटन ब्लूम

सन्दर्भ

- शोधकर्ताओं ने बायोल्यूमिनसेंट फाइटोप्लांकटन की एक प्रजाति का वर्णन किया है, जिसे पायरोसिस्टिस नोक्टिलुका कहा जाता है, जो अपने मूल आकार से छह गुना बड़ा होता है, जो कुछ सौ माइक्रोन होता है।
 - पी. नोक्टिलुका कोशिकाएं छोटी पनडुब्बियों की तरह व्यवहार करती हैं जो अपने घनत्व को नियंत्रित कर सकती हैं ताकि वे चुन सकें कि वे समुद्र की सतह तक कहाँ पहुँचना चाहते हैं।

प्लैंकटन क्या हैं?

- प्लैंकटन छोटे जीव होते हैं जो महासागरों, समुद्रों और मीठे पानी के निकायों में बहते हैं। उन्हें दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

- **फाइटोप्लांकटन:** ये सूक्ष्म पौधे हैं, मुख्य रूप से शैवाल, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन के उत्पादन तथा जलीय खाद्य जाल के आधार के रूप में कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **ज़ोप्लांकटन:** ये छोटे जानवर या बड़े जानवरों के लार्वा चरण हैं। वे फाइटोप्लांकटन और अन्य ज़ोप्लांकटन पर भोजन करते हैं। प्लैंकटन का आकार छोटे बैक्टीरिया से लेकर जेलीफ़िश जैसे बड़े जीवों तक भिन्न हो सकता है।
- वे पोषक चक्रण के लिए महत्वपूर्ण हैं और मछली तथा व्हेल सहित कई समुद्री प्रजातियों के लिए भोजन के रूप में कार्य करते हैं।

प्लैंकटन ब्लूम

- प्लैंकटन प्रस्फुटन से तात्पर्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्लैंकटन की जनसँख्या में अचानक वृद्धि से है - फाइटोप्लांकटन और ज़ूप्लांकटन दोनों।
- भौतिक परिस्थितियाँ और पोषक तत्व स्तर विशेष प्लैंकटन प्रकारों की उच्च बहुतायत को जन्म दे सकते हैं। ब्लूम त्वरित घटनाएँ हो सकती हैं जो कुछ दिनों के अंदर शुरू और समाप्त हो जाती हैं या वे कई सप्ताह तक चल सकती हैं। वे अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर हो सकते हैं या समुद्र की सतह के सैकड़ों वर्ग किलोमीटर को कवर कर सकते हैं।

Source: TH

पाइरोमिस

समाचार में

- 2001 से 2023 के बीच वनों की आग से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 60% की वृद्धि हुई: अध्ययन
 - इस वृद्धि का कारण जलवायु परिवर्तन है, जिसके कारण वनों की आग के पैटर्न में भौगोलिक परिवर्तन आया है, जिससे सभी वन क्षेत्रों में कार्बन दहन दर में 47% की वृद्धि हुई है।

परिचय

- 'पाइरोमिस' को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ वनों की आग के पैटर्न समान पर्यावरणीय, मानवीय और जलवायु कारकों से प्रभावित होते हैं, जिससे हाल ही में वनों की आग में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले तत्वों का पता चलता है।
- वनों को पाइरोमिस में समूहीकृत करने से भूमि उपयोग और वनस्पति जैसे अन्य प्रभावित करने वाले कारकों के अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अलग किया जा सकता है।

Source: DTE

यूरोपियन स्काई शील्ड पहल (ESSI)

समाचार में

- स्वित्जरलैंड आधिकारिक तौर पर यूरोपीय स्काई शील्ड पहल (ESSI) में शामिल हो गया है।

यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव (ESSI) के बारे में

- यह एक सहयोगात्मक परियोजना है जिसका उद्देश्य पूरे यूरोप में एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली का निर्माण करना है।
- इस पहल की शुरुआत अगस्त 2022 में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद की थी।
- यह पहल वायु रक्षा के संबंध में यूरोपीय देशों के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करती है और साझा संसाधनों और विशेषज्ञता के अवसर सृजित करती है।
- यह नाटो की एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा को मजबूत करेगा।

Source: Print

सैन्य अभ्यास में क्वाड देशों की भागीदारी

समाचार में

- भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका से मिलकर बने क्वाड ने अंतर-संचालन तथा पनडुब्बी रोधी युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए लगातार नौसैनिक अभ्यास किया।

अभ्यास के बारे में

- **मालाबार अभ्यास:**
 - **विकास:** मूल रूप से 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास, मालाबार अब एक प्रमुख बहुपक्षीय कार्यक्रम में बदल गया है, जो हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अंतर-संचालन तथा साझा समुद्री चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - **उद्देश्य:** मालाबार का उद्देश्य जटिल चुनौतियों के बीच समुद्री सुरक्षा में सहयोग और सहभागिता को बेहतर बनाना है, जैसा कि भारतीय नौसेना ने कहा है।
- **अभ्यास काकाडू:** मालाबार से पहले, अभ्यास काकाडू 9 से 20 सितंबर तक आयोजित किया गया था, जिसकी मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने की थी, जिसमें 30 देशों के लगभग 3,000 कर्मियों और महत्वपूर्ण नौसैनिक परिसंपत्तियों ने भाग लिया था।
 - अभ्यास काकाडू ने कई देशों के साथ सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए ऑस्ट्रेलिया के समर्पण को उजागर किया।

Source :TH

आग से कार्बन उत्सर्जन

सन्दर्भ

- एक अध्ययन से पता चला है कि 2001 के बाद से वैश्विक स्तर पर सभी जंगलों में जंगल की आग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

परिचय

- **वैश्विक परिदृश्य:** वैश्विक स्तर पर, वन की आग ने CO₂ उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
 - 11 देशों में वन की आग ने 2024 की पहली छमाही तक 375 मिलियन टन से अधिक CO₂ उत्सर्जन किया है।
- **भारतीय परिदृश्य:** UNFCCC को भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में वन की आग से होने वाला उत्सर्जन वन की आग से होने वाले सभी वैश्विक उत्सर्जन का मात्र 1-1.5% है, जबकि कुल वैश्विक वन क्षेत्र का लगभग 2% हिस्सा भारत में है।

निहितार्थ

- **जलवायु परिवर्तन:** वन की आग से होने वाले उत्सर्जन से वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन और भी बढ़ जाता है।
 - जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है और सूखा सामान्य होता जाता है, वन की आग का खतरा बढ़ता जाता है, जिससे वैश्विक तपन में और वृद्धि होती है।
- **वायु गुणवत्ता:** वन की आग के धुएं में हानिकारक प्रदूषक होते हैं, जिनमें महीन कण पदार्थ (PM_{2.5}) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) शामिल हैं।

Source: DTE

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC)

सन्दर्भ

- शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष में होने हैं, जो आखिरी बार 2011 में हुए थे।

परिचय

- शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) एक महत्वपूर्ण सिख धार्मिक संगठन है जो पंजाब राज्य के साथ-साथ भारत के अन्य हिस्सों और विदेशों में सिख गुरुद्वारों (पूजा स्थलों) के मामलों के प्रबंधन और देखरेख के लिए जिम्मेदार है।
- **उत्पत्ति:** SGPC का गठन सिखों द्वारा अपने धार्मिक संस्थानों पर नियंत्रण की मांग के जवाब में किया गया था, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त भ्रष्ट महंतों (पुजारियों) के प्रभाव में थे।
- SGPC 1925 के गुरुद्वारा अधिनियम के तहत कार्य करती है, जो इसे सिख धार्मिक मामलों और संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
- **संरचना:** यह एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय है जिसके सदस्य सिख मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं।
- SGPC सिख शिक्षाओं को बढ़ावा देने और सिख धर्म के बारे में जागरूकता का प्रसार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Source: IE

